



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 8/2018**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 22-02-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरूप माथुर, सलाहकार उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05-01-2017 के द्वारा परिवाद पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने आवेदन के साथ एक परिवाद संलग्न होना बताया है लेकिन आवेदन के साथ परिवाद की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन में किस परिवाद के बाबत सूचना चाही गई है, यह खुलाशा नहीं है। विशिष्टी के अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर से उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील के साथ आवेदन दिनांक 05-01-2017 एवं पत्र दिनांक 05-01-2017 की प्रति संलग्न की है। दिनांक 05-01-2017 को प्रेषित किये गये पत्र की सूचना उसी दिन मांगा जाना एक भविष्यगामी सूचना की कामना की श्रेणी में आता है। अपीलोत्तर के अनुसार आवेदन के साथ कोई परिवाद संलग्न नहीं होना एवं विशिष्टी का अभाव होना बताया गया है। विशिष्टी के अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त